फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

रेशमा उर्फ सावित्री **बनाम** **स्टेट**

किस्म मुकदमा : **136 LRA** प्रकरण संख्या 186 / **2026**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
26.05.2026	प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीया का नाम रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 92/81 में क्रम संख्या 04 पर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम रेशमा पुत्री निकुराम दर्ज है। जो की सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम सावित्री पुत्री निकुराम है जो की प्रार्थी के दस्तावेजों यथा नामांतरण प्रपत्र में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम रेशमा पुत्री निकुराम के स्थान पर सावित्री पुत्री निकुराम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम रेशमा पुत्री निकुराम के स्थान पर सावित्री पुत्री निकुराम किया जाना उचित है की अनुशंषा की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम रेशमा पुत्री निकुराम दर्ज है एवं प्रार्थी के समस्त दस्तोवजों यथा नामांतरण प्रपत्र में प्रार्थीया का सावित्री पुत्री निकुराम दर्ज है एवं तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थीया का नाम सही करने हेतु अनुशंषा की गई है प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार, भू0अभि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही चक सरदारपुरा के खाता संख्या 92/81 में क्रम संख्या 04 पर दर्ज रेशमा पुत्री निकुराम के स्थान पर रेशमा उर्फ सावित्री पुत्री निकुराम का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़) Rahul	